VEGFED अंतर्गत योजनयो की सूचना

योजना का नाम:

1. आधारभूत संरचना योजना
2. प्याज भंडारण
3. 750 MT क्षमता
4. तरकारी आउलेट
5. PVCS हेतु उपकरण एवं बुनियादी सुविधा प्रदान
6. प्लास्टिक कैरेट
7. PVCS /संघ /वेजफेड के पदधारक एवं पदाधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण

1. आधारभूत संरचना योजना

प्रस्तावना:-

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से किया जा रहा है। जहाँ प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसान मिलकर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS को सम्मिलत करते हुए सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर राज्यस्तरीय बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किया गया है।

2. योजना के मुख्य उद्देश्य-

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित समितियों के सदस्य किसानों को प्याज के उचित भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं समितियों में प्याज व्यवसाय कराने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर प्याज भण्डारण संरचना (50 MT) का निर्माण कराया जायेगा, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का भण्डारण कि सुविधा प्राप्त हो तथा बाजार मूल्य अधिक होने पर प्याज की बिक्री कर अधिक लाभ प्राप्त हो सके जिससे उनकी आय में वृद्धि एवं आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। प्रत्येक प्रखंड में 50 MT क्षमता भण्डारण का निर्माण कराया जाना है।

2. प्याज भंडारण

प्रस्तावना:-

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से किया जा रहा है। जहाँ प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसान मिलकर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS को सम्मिलत करते हुए

सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर राज्यस्तरीय बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किया गया है।

योजना के मुख्य उद्देश्य-

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित समितियों के सदस्य किसानों को प्याज के उचित भण्डारण की सुविधा उपलब्ध कराने एवं समितियों में प्याज व्यवसाय कराने के उद्देश्य से अनुदानित दर पर प्याज भण्डारण संरचना (50 MT) का निर्माण कराया जायेगा, ताकि किसानों को अपने उत्पाद का भण्डारण कि सुविधा प्राप्त हो तथा बाजार मूल्य अधिक होने पर प्याज की बिक्री कर अधिक लाभ प्राप्त हो सके जिससे उनकी आय में वृद्धि एवं आर्थिक स्थिति बेहतर हो सके। प्रत्येक प्रखंड में 50 MT क्षमता भण्डारण का निर्माण कराया जाना है।

3. 750 MT क्षमता

योजना के मुख्य उद्देश्य लाभ एवं आवश्यकताएँ:- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन के अंतर्गत **प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०(PVCS)** द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं **प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद**को **उचित भंडारण, बाजार एवं सब्जी उत्पादक किसानों को विपणन की सुविधा** उपलब्ध कराने के साथ-साथ सब्जी संघ स्तर पर क्रय किये गए उत्पादों को भंडारित करने की आवश्यकता के आलोक में **समेकित बहुद्देशीय शीत भंडारण इकाई** का निर्माण किया जायेगा। जिसके उद्देश्य निम्नलिखित है:

- **प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०(PVCS) द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद** एवं साथ ही साथ **सब्जी संघों द्वारा क्रय किये गए उत्पाद को भंडारण की सुविधा उपलब्ध कराना।**
- **प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि०(PVCS) द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद के लिए बाजार सुनिश्चित करना।**
- **उपभोक्ताओं को उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी/प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना।**
- **सब्जी उत्पादक कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना।**
- **सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों की आय में वृद्धि करना।**
- **फसलों के उत्पादन उपरांत क्षति को कम करना।**

स्कीम का भौतिक आकार :-

यह योजना राज्य के विभिन्न **संघ स्तर पर क्रियान्वित की जायेगी।** इस योजना के प्रथम चरण अंतर्गत **04 (हरित सब्जी संघ, मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ, मगध सब्जी संघ)**में **समेकित बहुद्देशीय शीत गृह भंडारण निर्माण कार्य किया जाना है।**

4. तरकारी आउलेट

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत प्रखंड स्तर पर गठित PVCS में तरकारी आउटलेट निर्माण एवं संचालन पर होने वाले व्यय की योजना का प्रारूप

स्कीम की प्रकृति: राज्य स्कीम

स्कीम का उद्देश्य: बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन लि० (**वेज़फेड**) के अंतर्गत राज्य के **सब्जी उत्पादक किसानों को विपणन की सुविधा उपलब्ध कराना** इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना के अंतर्गत निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति की जाएगी:

- **प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों (PVCS) द्वारा उत्पादित सब्जियों एवं संस्कृत खाद्य उत्पाद के लिए बाजार पहुंच सुनिश्चित करना।**
- **उपभोक्ताओं को उचित लागत पर गुणवत्तापूर्ण सब्जी/संस्कृत खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराना।**
- **सब्जी उत्पादक कृषकों को उनके उत्पादन का उचित मूल्य दिलाना।**
- **सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों के सदस्यों की आय में वृद्धि करना।**
- **सहकारी समितियों के मध्य सहयोग (cooperation among cooperatives) को बढ़ावा देना।**

5. PVCS हेतु उपकरण एवं बुनियादी सुविधा प्रदान

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित PVCS के माध्यम से सब्जी खरीद-बिक्री व्यवसाय में सहयोग के लिए उपकरण एवं बुनियादी व्यवस्था प्रदान करने हेतु योजना का प्रारूप :

स्कीम का नाम :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित PVCS के माध्यम से सब्जी खरीद-बिक्री व्यवसाय में सहयोग के लिए उपकरण एवं बुनियादी व्यवस्था प्रदान करने हेतु व्यय का कुल सकल राशि 4,32,00,000 /- (चार करोड़ बत्तीस लाख मात्र) रुपये की स्वीकृति | प्रति इकाई लागत 98000 कुल चयनित PVCS

स्कीम की प्रकृति :- राज्य स्कीम |

स्कीम का उद्देश्य एवं इससे होने वाले लाभ :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि, सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का सही मूल्य दिलाना, उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाना, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के सब्जी उपलब्ध कराना है | उक्त उद्देश्य प्राप्ति हेतु प्रखंड स्तर पर गठित PVCS को सशक्त बनाना ताकि वे किसानों से सब्जियां क्रय एवं संग्रहित कर बाजार में विक्रय कर सकें | इस हेतु उन्हें आवश्यक उपकरण और सहायता प्रदान की जायेगी, जिससे वे प्रभावी रूप से काम कर सकें और व्यवसाय को बढ़ावा दे सकें | इसमें PVCS अपने सब्जी उत्पादक किसानों से सब्जियों को एकत्र करेंगे और स्थानीय बाजार में बिक्री करेंगे | इससे निष्क्रिय PVCS को पुनर्जीवित करने और उनके सदस्यों के साथ संपर्क स्थापित करने में मदद मिलेगी, जो बिना किसी PVCS के सहयोग से भी खुद/स्वयं भी अपनी सब्जियां बेच रहे हैं |

इस प्रकार, यह योजना International Year Of Cooperative 2025 के उद्देश्यों को समाविष्ट करते हुए राज्य के प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समितियों को उनके व्यवसाय संचालन एवं बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति में सहयोग प्रदान करने हेतु है |

स्कीम का भौतिक आकार :- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित तीनों संघ यथा हरिता सब्जी संघ, पटना, तिरहुत सब्जी संघ मोतिहारी एवं मिथिला सब्जी संघ दरभंगा द्वारा अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत क्रमशः 120, 121, 61 प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति (PVCS) गठित है | PVCS अपने कार्य क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसान सदस्यों से सीधे सब्जियां एकत्र कर उन सब्जियों को ग्रेडिंग करने के बाद स्थानीय बाजार में बेचेंगे |

संघ PVCS को सब्जी व्यापार के लिए हर संभव सहायता प्रदान करेंगी जैसे- मूल्य, बाजार इत्यादि | PVCS संग्रहण केंद्र के संचालन हेतु सहायक प्रबंधक/प्रबंधक के सहयोग से करेगा, जो सब्जियों के खरीद-बिक्री के साथ-साथ खाता-बही एवं बिक्री का संधारण करेंगे तथा योजना अंतर्गत प्रत्येक PVCS को निम्नलिखित उपकरण/उपस्कर और बुनियादी व्यवस्था प्रदान किया जाएगा, जिसका आकलित व्यय राशि निम्न रूपेण है :-

Weighing scale Platform (100 k,,Crates 50,Leno bag,Gunny bag ,Stainless steel table,Office table Chairs 20,White board (Marker Pen)

6. प्लास्टिक कैरेट

बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अंतर्गत गठित सब्जी संघों को उनके सब्जी विपणन की परिचालन क्षमता बढ़ाने हेतु उच्च गुदवाता वाले प्लास्टिक कैरेट उपलब्ध करने हेतु 75% रशि हरित/मिथिला/तिरहुत एवं मगध संघ को दिया गया है |

7. PVCS /संघ /वेजफेड के पदधारक एवं पदाधिकारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण

परिचय – बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का कार्यान्वयन त्रिस्तरीय सहकारी संरचना के माध्यम से किया जा रहा है। जहाँ प्रखंड स्तर पर सब्जी उत्पादक किसान मिलकर प्राथमिक सब्जी उत्पादक सहकारी समिति लि. (PVCS), क्षेत्रीय स्तर पर कुछ जिलों के PVCS को सम्मिलित करते हुए सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ एवं शीर्ष स्तर पर राज्यस्तरीय बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी फेडरेशन का गठन किया गया है।

योजना के मुख्य उद्देश्य- बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना का मुख्य उद्देश्य सब्जी के उत्पादन, गुणवत्ता एवं उत्पादकता में वृद्धि, सब्जी उत्पादकों को उत्पाद का सही मूल्य दिलाना, उत्पादकों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराना, सब्जी आपूर्ति श्रृंखला को प्रभावी बनाना, उपभोक्ताओं को प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य पर सब्जी गुणवत्ता के सब्जी उपलब्ध कराना एवं सब्जी क्षेत्र में मूल्य संवर्द्धन करने हेतु प्रखंड स्तर पर गठित PVCS के सदस्य किसानों को प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाना तथा संघ एवं फेडरेशन के पदाधिकारियों/कर्मियों को उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति में सहयोग प्रदान करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान कर दक्ष बनाया जाना है। बिहार राज्य

सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन योजना अन्तर्गत गठित PVCS के सदस्य किसानों एवं PVCS/संघ/फेडरेशन के पदधारकों एवं पदाधिकारियों/कर्मियों को योजना कार्यान्वयन के सफल संचालन के साथ-साथ योजना के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जाना है।